- मध्याह्न भोजन योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के माध्यम से बच्चों में पोषण के अतिरिक्त शिक्षा, सामाजिक समानता एवं भाईचारा की भावना का प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा है। इस योजना अन्तर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में छीजन रोकने, नामांकित बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने एवं उनके उचित पोषण के उद्देश्य से माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार राज्य के सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों, मदरसा/मकतब/संस्कृत विद्यालय/राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना अन्तर्गत संचालित विद्यालय एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत संचालित वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों में वर्ग–I से वर्ग–VIII में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
- मध्याह्न भोजन योजना के प्रतिदिन अनुश्रवण के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 से IVRS (दोपहर) प्रणाली लागू किया गया है। इस प्रणाली के द्वारा सम्प्रति प्रतिदिन लगभग 70,000 हजार विद्यालयों को कॉल भेजे जा रहे हैं

दोपहर (IVRS) में ध्यान देने योग्य बातें:–

दोपहर (IVRS) का उदेश्य :–

- प्रतिदिन ऑकड़ा का संग्रहण।
- प्रतिदिन वास्तविक लाभान्वित बच्चों की संख्या की जानकारी।
- प्रतिदिन उन विद्यालयों की संख्या जो मध्याह्न भोजन से अच्छादित नहीं हुए है।
- सप्ताहिक राशि एवं खाद्यान्न की उपलब्धता एवं अनुपलब्धता विद्यालयों की सूची।
- आवश्यकतानुसार प्रश्न को बदलकर ऑकड़ों का संग्रहण।

दोपहर (IVRS) के लाभ

- उन विद्यालयों की संख्या में कमी आयी जो मध्याह्न भोजन से अच्छादित नहीं थे। शिक्षकों का सीधे जिला एवं निदेशालय से सम्पर्क होता रहता है। शिक्षकों द्वारा किसी भी समस्या को निदेशालय तक पहूँचा दिया जा रहा है।
- विद्यालय शिक्षा समिति का मध्याहन भोजन योजना में सहयोग।
- मध्याह्न भोजन के सफल संचालन हेतु राशि एवं खाद्यान्न के उपलब्धता एवं अनुपलब्धता की जानकारी प्राप्त होती रहती है।

प्रतिदन उपलब्ध प्रतिवेदन :–

<u>विद्यालयवार/प्रखण्डवार, जिलावार विद्यालयों की सूची निम्न प्रपत्र में उपलब्ध होता है।</u>

1. विद्यालवार नामांकन के विरूद्ध लाभान्वित बच्चों की संख्या ज्ञात होता है।
2. उपस्थित बच्चों के विरूद्ध लाभान्वित बच्चों की संख्या।
3. उन विद्यालयों की संख्या जो उस दिन मध्याह्न भोजन से अच्छादित नहीं थे।
4. उन विद्यालयों की सूची जहॉ कॉल नहीं हुआ , पूर्ण काल नहीं हुआ एवं अपूर्ण रह गया आदि की स्थिति पता चलता है। प्रखण्ड साधन सेवी को अपने प्रखण्ड के लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड से दोपहर (IVRS) में प्रत्येक सप्ताह में अधिक से अधिक लॉगइन करें और उसके एक–एक बिन्दु का अनुश्रवण कर लें। जिला लॉगिन कर यह देख सकते है कि किस दिन किस प्रखण्ड के द्वारा दोपहर (IVRS) में लॉगिन किया गया है। प्रखण्ड साधन सेवी यूनिक पासवर्ड का ही प्रयोग करें।
5. दोपहर (IVRS) में प्राप्त होने वाले प्रतिवेदन जैसे समरी रिपोर्ट में कितने विद्यालयों को कॉल कनेक्ट नहीं है, कितने विद्यालयों का कॉल पूरा नहीं हुआ, इत्यादि की समीक्षा करनी है। समीक्षोपरांत आवश्यक सुधार करना आवश्यक है।

सप्ताहिक प्रतिवेदन

दोपहर (IVRS) के साप्ताहिक प्रतिवेदन से प्राप्त वैसे विद्यालयों की सूची जहॉ खाद्यान्न तथा राशि कम होने की सूचना दे रहें है वैसे विद्यालय का भौतिक सत्यापन करते हुए यदि सही प्रधानाध्यापक के द्वारा सूचना दिया गया है तो अविलंब खाद्यान्न तथा राशि का प्रबंध करना होगा। यदि गलत सूचना प्रधानाध्यापक के द्वारा दिया गया है तो प्रधानाध्यापक को आवश्यक सुधार करने का निदेश देना है।

मासिक प्रतिवेदन

- मासिक प्रपत्र–यह प्रपत्र प्रति माह विद्यालयवार/प्रखण्डवार, जिलावार विद्यालयों की सूची उपलब्ध होता है।
- अपने जिले एवं प्रखण्ड के किसी एक विद्यालय का पूरे माह का विवरण देखा जा सकता है।
- अपने जिले के नामांकन के विरूद्ध उपस्थिति एवं नामांकन के विरूद्ध लाभान्तिव बच्चो का प्रतिशत देखा जा सकता है।
- दोपहर (IVRS) में नामांकन के विरूद्ध उपस्थित जीरो लाभान्वित बच्चों का रिपोर्ट देखना है तथा उसके कारणों को दूर करने हेतु आवश्यक कदम उठाना है।
- दोपहर (IVRS) में प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक तथा विद्यालय शिक्षा समिति का नंबर समय–समय पर अद्यतन करते रहना चाहिये।

- दोपहर (IVRS) में मोबाइल नंबर डालते समय उसको सत्यापन कर लेना है। किसी भी परिस्थिती में गलत नंबर दोपहर (IVRS) में अंकित नहीं होना चाहिये।
- दोपहर (IVRS) में किस कारण से विद्यालय में मध्याह्न भोजन बंद है उसका भौतिक सत्यापन कराते हुए विद्यालय में मध्याह्न भोजन संचालित करना।
- दोपहर (IVRS) में उन विद्यालयों का सत्यापन आवश्यक है जिन विद्यालयों द्वारा लगातार एक सप्ताह तक पूर्ण /अपूर्ण उत्तर दिया जाता है ।
- दोपहर (IVRS) में कई विद्यालयों द्वारा प्रतिदिन लाभान्वित बच्चों की संख्या नामांकन से ज्यादा डाल दिया जाता है ऐसे विद्यालय का भौतिक सत्यापन कर प्रधानाध्यापक को सही–सही नम्बर डालने का मार्गदर्शन देना है।

सप्ताहिक प्रपत्र

- नया सप्ताहिक प्रपत्र – यह प्रपत्र लाईन, वार एवं स्टैप्ड ग्राफ के रूप में जिलावार एवं प्रखण्डवार उपलब्ध है। यह प्रपत्र विद्यालयों में प्रखण्डवार एवं जिलावार राशि एवं खाद्यान्न की उपलब्धता एवं अनुपलब्धता के प्रभाव को पूर्व सप्ताह के साथ तुलनात्मक प्रतिवेदन के रूप में दर्शाता है।

मास्टर डाटा

- सक्रिय विद्यालय में चेकअप लगाना और असक्रीय विद्यालयों में अनचेक करना।
- सक्रिय विद्यालय– इसका मतलब उन विद्यालयो में कॉल जाना।
- असक्रिय विद्यालय– इसका मतलब उन विद्यालयो में कॉल नहीं जाना।
- आवश्यकतानुसार प्रधानाध्यापक/सहायक शिक्षक/विद्यालय शिक्षा समिति का मोबाईल नम्बर जॉच कर सही प्रविष्टि करते रहे।
- मदरसा/उर्दू विद्यालयों का चयन सही करें क्योंकि इन विद्यालयों को शुक्रवार की जगह रविवार को कॉल जाता है।
- स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित विद्यालयों को चिन्हित करना।
- मास्टर डाटा में स्वंय सेवी संस्था से अच्छादित विद्यालयों को चिन्हित कर संबंधित डाटा को अद्यतन करें।
- इन विद्यालयों में सप्ताहिक चौथा एवं पॉचपा प्रश्न नहीं पूछा जाता है।

तृतीय प्रश्न :– प्रत्येक 1/2/3 माह के बाद पूछे जाने वाले तृतीय प्रश्न आवश्यकतानुसार बदल दिया जाता है।

आवश्यकतानुसार परिवर्तित प्रश्नों की सूची :–

1. वर्ग –1 से 5 के लिए 2012–13 के लिए कितने सेट पाठ्य पुस्तक प्राप्त हुए।
2. वर्ग –6 से 8 के लिए 2012–13 के लिए कितने सेट पाठ्य पुस्तक प्राप्त हुए।
3. विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या क्या है ?
4. मध्याह्न भोजन पोषाहार पंजी कल तक संधारित है ? हॉ/नहीं।
5. मध्याह्न भोजन खिलाने से पूर्व बच्चों द्वारा हाथ साफ किया जाता है? हॉ/नहीं।
6. रसोइया–सह–सहायक का CBS ब्रांच में खाता है ? हॉ/नहीं।
7. क्या विद्यालय में किचेन शेड है ? हॉ / नहीं।
8. विद्यालय में रसोईयों की संख्या कितनी है।
9. क्या विद्यालय में शौचालय सही स्थिति में है ? हॉ/नहीं।
10. विद्यालय में मध्याह्न भोजन हेतु प्लेट की संख्या कितनी है ?
11. रसोईया–सह–सहायक के मानदेय का भुगतान पिछले माह का किया गया है ? हॉ/नहीं
12. विद्यालय में किचेन डिभाईश उपलब्ध है ? हॉ/नहीं
13. विद्यालय मे पीने के लिए पानी की उपलब्धता है ? हॉ/नहीं
14. आज मध्याह्न भोजन किनके द्वारा चखा गया। रसोईया–सह–सहायक/ प्रधानाध्यापक/वरीय शिक्षक/ विद्यालय शिक्षा समिति।

शून्य उपस्थिति एवं शून्य लाभान्वित वाले विद्यालयों :–

शून्य प्रविष्टि – अगर प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक एवं विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा पहले या दूसरे प्रश्न में शून्य प्रविष्टि किया जाता है तो इस परिस्थिति में पहले प्रश्न शून्य उपस्थिति के लिए अलग से चार प्रश्न पूछे जाते है।

- शिक्षण कार्य नहीं हो रहा है।
- आकस्मिक कारण।
- बच्चे उपस्थित नहीं है।
- एकल शिक्षक के कारण।

अगर दूसरे प्रश्न (लाभान्वित बच्चों की संख्या) में शून्य प्रविष्टि की जाती है तो निम्न चार प्रश्न पूछे जाते है।

- राशि के कारण।
- खाद्यान्न के कारण।
- रसोई–सह–सहयक के कारण
- अन्य कारण।

प्रधानाध्यापक को ध्यान देने योग्य बातें:–

- प्रतिदिन दोपहर (IVRS) से आने वाले कॉल का पूरा–पूरा तथा सही–सही जबाब देना सूनिश्चित करना है।
- यदि प्रधानाध्यापक का स्थानांतरण किसी अन्य विद्यालय में होता है तो इसकी सूचना अविलंब अपने नये विद्यालय का नाम तथा उसमें अपने पद (प्रधानाध्यापक, वरीय शिक्षक) का नाम एवं मोबाइल नंबर सहित प्रखंड साधन सेवी को लिखित रूप से देना सुनिश्चित करना है।
- अनावश्यक रूप से मोबाइल नंबर नहीं बदलना है। यदि किसी परिस्थिती में मोबाइल नंबर बदलना ही पड़े तो इसकी सूचना अविलंब संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड साधन सेवी को दिया जाना है।
- दोपहर (IVRS) के द्वारा प्रधानाध्यापक के पास दिन में कम से कम दोवार कॉल जाता है। यदि प्रथम कॉल में मध्याह्न भोजन नहीं तैयार है तो प्रथम कॉल का जबाब न दे तथा दूसरा कॉल जाने पर ही सही जबाब देना होगा। यदि दूसरा कॉल पर आप के द्वारा जवाब नहीं दिया जाता है तो मिस कॉल (0612 6609777 एवं 0612 3062300) कर के आप दोपहर (IVRS) का उत्तर दें।
- दोपहर (IVRS) में प्रधानाध्यापक द्वारा यदि किसी कारण वश उत्तर गलत दे दिया जाता है तो प्रधानाध्यापक उस स्थिति में पुनः मिस कॉल (0612 6609777 एवं 0612 3062300) कर के अपना सही उत्तर दर्ज कर सकते है।

टैबलेट पीसी की उपयोगिता :–

- विद्यालय निरीक्षण।
- रसोई–सह–भण्डारगृह की उपलब्धता।
- रसोई–सह–सहायक का फोटोग्राफ।
- विद्यालय में प्रसाधन से संबंधित निरीक्षण।
- दोपहर (IVRS) उपस्थिति बनाम लाभान्वित बच्चों की संख्या का गणना।

दोपहर (IVRS) का MIS के ऑकड़ों के साथ विशलेषण :–

- ऑकड़ों का विशलेषण प्रतिमाह दोपहर (IVRS) से MIS के साथ मिल सर्भड /एम डी एम सर्भडे /विद्यालय ओपेन डे/नामांकन के आधार पर विशलेषण
- शून्य अच्छादित विद्यालयों का विशलेषण, 75 प्रतिशत से अधिक लाभान्वित बच्चों वाले विद्यालयों का राशि, खाद्यान्न एवं लाभान्वित के आधार पर विशलेषण।

- ग्राफ विशलेषण – पूर्व सप्ताह के राशि एवं खाद्यान्न का तुलनात्मक विशलेषण वर्तमान सप्ताह के साथ करना ।
- कॉल नहीं पूरा करने वाले/कॉल नहीं लगने वाले विद्यालयों का विशलेषण।